

**न्यायमंडल अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला-बारा (राज.)**

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
9/18	188 RTA	गौरपुर	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
प्रहलाद	बनाम	विजेन्द्र	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

12/18 वकील का. गौरी द्वारा एक न्याय अंतर्गत धारा-188 RTA विरुद्ध प्रतिवादी (राज) को न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट साबित हो जाने पर न्यायालय में न्यायिक कार्य रजिस्ट्रार को कार्य सम्पन्न प्रतिवादी को तलब कर प्रकरण दिनांक 21/2/18 को पेश हो।

21/18 पत्रवाली चेशा इहे वकील वादी उपरी प्रतिवादी। ता 3 के सम्बन्ध वाद ताभीज स्पन्दन पत्रवाली हे, प्रतिवादी। ता 3 की ओर से एक दिनेस गालक शडेवेर का वकालत नकी केशा जिहा, वास्ते जवाब लिखत दिनांक 6/3/18 को पेश हो।

6/3/18 न्यायालय में न्यायाधीश के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रवाली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 3/4/18 को पेश हो।

3/4/18 लकुमार फरीके के उपरी जवाब हेतु सम्बन्ध चाहा वास्ते जवाब दिनांक 18/4/18 को प्रकरण पेश हो।

20/18 राजस्व लोक असावत अभियान न्याय आदेश 2018

11/7/18 न्यायालय में न्यायाधीश के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रवाली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 18/7/18 को पेश हो।

18/7 न्यायालय में न्यायाधीश के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रवाली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 8/8/18 को पेश हो।

दिनांक

01/01/21

पत्रावली पेश हुई। वहुलाए फरिबेन उपस्थित।  
तन्की भाषण नहीं हो सकी है। वास्ते तन्कीभात  
पत्रावली दिनांक 01/01/21 को पेश हो।

02/01/21

पत्रावली पेश हुई। वहुलाए फरिबेन उपस्थित।  
तन्की भाषण नहीं हो सकी है। वास्ते तन्कीभात  
पत्रावली दिनांक 01/01/21 को पेश हो।

10/03/21

पत्रावली पेश हुई। वहुलाए फरिबेन उपस्थित।  
पक्षकारान उपस्थित। पक्षकारान द्वारा न्यायालय  
के समक्ष उपस्थित होकर अज्ञात कराया कि  
इस पक्षकारान के मध्य संपीकाना हो गया है।  
प्रमाण में इस को कोई कार्यवाही नहीं चाहते  
हैं। प्राप्ति/बादी को पहचान श्री शमेश्वर गोपाल एडवो.  
एवं प्रतिवादी गण को पहचान श्री शमेश्वर गालव एडवो.  
द्वारा की गई। प्रमाण में कार्यवाही इसी स्तर पर  
डॉप को जाती है। पत्रावली फेश ल शुभा हो कर  
नम्बर के कम हो। पत्रावली दाखिल दफतर हो।

~~पत्रावली पेश हुई।~~  
~~दिनांक 10/03/21~~

नदेश्वर एडवो.  
शमेश्वर एडवो.

शमेश्वर एडवो.  
शमेश्वर एडवो.